

इक्कीसवीं सदी का हिंदी साहित्य

रश्मी नामदेव

व्याख्याता

शा हा स्कूल बचरवारपेण्ड्रा बिलासपुर छग

सारांश

हिन्दी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। उसकी जड़ें प्राचीन भारत की संस्कृत भाषा में तलाशी जा सकती हैं। परंतु हिन्दी साहित्य की जड़ें मध्ययुगीन भारत की अवधी, मागधी, अर्धमागधी तथा मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य में पाई जाती हैं। हिन्दी में गद्य का विकास बहुत बाद में हुआ और इसने अपनी शुरुआत कविता के माध्यम से जो कि ज्यादातर लोकभाषा के साथ प्रयोग कर विकसित की गई। हिन्दी का आरंभिक साहित्य अपभ्रंश में मिलता है। हिन्दी में तीन प्रकार का साहित्य मिलता है। गद्य पद्य और चम्पू। हिन्दी की पहली रचना कौन सी है इस विषय में विवाद है लेकिन ज्यादातर साहित्यकार देवकीनन्दन खत्री द्वारा लिखे गये उपन्यास चंद्रकांता को हिन्दी की पहली प्रामाणिक गद्य रचना मानते हैं।

हिन्दी साहित्य का इतिहास

हिन्दी साहित्य का आरंभ आठवीं शताब्दी से माना जाता है। यह वह समय है जब सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद देश में अनेक छोटे-छोटे शासन केंद्र स्थापित हो गए थे जो परस्पर संघर्षरत रहा करते थे। विदेशी मुसलमानों से भी इनकी टक्कर होती रहती थी। हिन्दी साहित्य के विकास को आलोचक सुविधा के लिये पाँच ऐतिहासिक चरणों में विभाजित कर देखते हैं जो क्रमवार निम्नलिखित हैं:

- आदिकाल : १४०० ईसवी से पहले
- भक्ति काल : १३७५-१७००
- रीति काल : १७००-१९००
- आधुनिक काल : १८५० ईस्वी के पश्चात
- नवोत्तर काल : १९८० ईस्वी के पश्चात

आदिकाल : १०५० ईसवी से १३७५ ईसवी

हिन्दी साहित्य आ आदिकालको आलोचक १४०० ईसवी से पूर्व का काल मानते हैं जब हिन्दी का उद्भव हो ही रहा था। हिन्दी की विकासयात्रा दिल्ली, कन्नौज और अजमेर क्षेत्रों में हुई मानी जाती है। पृथ्वीराज चौहान का उस समय दिल्ली में शासन था और चंदबरदाई नामक उसका एक दरबारी कवि हुआ करता था। चंदबरदाई की रचना पृथ्वीराजरासो है जिसमें उन्होंने अपने मित्र पृथ्वीराज की जीवन गाथा कही है। पृथ्वीराज रासो हिन्दी साहित्य में सबसे बृहत् रचना मानी गई है। कन्नौज का अंतिम राठौड़ शासक जयचंद था जो संस्कृत का बहुत बड़ा संरक्षक था।

भक्ति काल : १३७५ दृ १७००

हिन्दी साहित्य का भक्ति काल १३७५ वि० से १७०० वि० तक माना जाता है। यह काल प्रमुख रूप से भक्ति भावना से ओतप्रोत काल है। इस काल को समृद्ध बनाने वाली दो काव्यधाराएँ हैं : 1. निर्गुण भक्तिधारा तथा 2. सगुण भक्तिधारा। निर्गुण भक्तिधारा को आगे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है संत काव्य : जिसे ज्ञानाश्रयी शाखा के रूप में जाना जाता है। इस शाखा के प्रमुख कवि ए कबीर ए नानक ए दादूदयाल ए रैदास ए मलूकदास ए सुन्दरदास ए धर्मदास आदि हैं।

निर्गुण भक्तिधारा का दूसरा हिस्सा सूफी काव्य का है। इसे प्रेमाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि।

भक्तिकाल की दूसरी धारा को सगुण भक्ति धारा के रूप में जाना जाता है। सगुण भक्तिधारा दो शाखाओं में विभक्त है। रामाश्रयी शाखा तथा कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, केशवदास, हृदयराम, प्राणचंद, चौहान, महाराज विश्वनाथ सिंह ए रघुनाथ सिंह।

कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूरदास, नंददास, कुम्भनदास, छीतस्वामी, गोविन्द स्वामी, चतुर्भुज दास, कृष्णदास, मीरा, रसखान, रहीम आदि। चार प्रमुख कवि जो अपनी-अपनी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कवि हैं। क्रमशः

कबीरदास : १३९९-१५१८

मलिक मोहम्मद जायसी : १४७७-१५४२

सूरदास : १४७८-१५८०

तुलसीदास : १५३२-१६०२

रीति काल : १७००-१९०० आचार्य राम चन्द्र शुक्ल के अनुसार

हिंदी साहित्य का रीति काल संवत् १७०० से १९०० तक माना जाता है यानी १६४३ई० से १८४३ई० तक। रीति का अर्थ है बना बनाया रास्ता या बंधी-बंधाई परिपाटी। इस काल को रीतिकाल कहा गया क्योंकि इस काल में अधिकांश कवियों ने श्रृंगार वर्णन, अलंकार प्रयोग, छंद बद्धता आदि के बंधे रास्ते की ही कविता की। हालांकि घनानंद, बोधा, ठाकुर, गोबिंद सिंह जैसे रीति-मुक्त कवियों ने अपनी रचना के विषय मुक्त रखे।

केशव : १५४६-१६१८, बिहारी : १६०३-१६६४, भूषण : १६१३-१७०५, मतिराम, घनानन्द ए सेनापति आदि इस युग के प्रमुख रचनाकार रहे।

आधुनिक काल : १८५० ईस्वी के पश्चात

आधुनिक काल हिंदी साहित्य पिछली दो सदियों में विकास के अनेक पड़ावों से गुज़रा है। जिसमें गद्य तथा पद्य में अलग अलग विचार धाराओं का विकास हुआ। जहां काव्य में इसे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और यथार्थवादी युग इन चार नामों से जाना गया वहीं गद्य में इसको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, रामचंद्र शुक्ल व प्रेमचंद्र युग तथा अद्यतन युग का नाम दिया गया।

अद्यतन युग के गद्य साहित्य में अनेक ऐसी साहित्यिक विधाओं का विकास हुआ जो पहले या तो थीं ही नहीं या फिर इतनी विकसित नहीं थीं कि उनको साहित्य की एक अलग विधा का नाम दिया जा सके। जैसे डायरी, यात्रा विवरण, आत्मकथा, रूपक, रेडियो नाटक, पटकथा लेखन, फ़िल्म आलेख इत्यादि।

नव्योत्तर काल : १९८० ईस्वी के पश्चात

नव्योत्तर काल की कई धाराएं हैं। एक पश्चिम की नकल को छोड़ एक अपनी वाणी पानाय दो अतिशय अलंकार से परे सरलता पानाय तीन जीवन और समाज के प्रश्नों पर असंदिग्ध विमर्श। कंप्यूटर के आम प्रयोग में आने के साथ साथ हिंदी में कंप्यूटर से जुड़ी नई विधाओं का भी समावेश हुआ है जैसे चिट्ठालेखन और जालघर की रचनाएं। हिन्दी में अनेक स्तरीय हिंदी चिट्ठे, जालघर व जाल पत्रिकाएँ हैं। यह कंप्यूटर साहित्य केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के हर कोने से लिखा जा रहा है इसके साथ ही अद्यतन युग में प्रवासी हिंदी साहित्य के एक नए युग का आरंभ भी माना जा सकता है।

21वीं सदी में हिन्दी साहित्य स्थिति एवं संभावनाएं

इक्कीसवीं सदी में हिंदी साहित्य की स्थिति एवं संभावनाएँ विषय पर सूक्ष्मताओं के साथ विमर्श हो अपेक्षा है। भूतकालीन एवं वर्तमानकालीन साहित्य को देखकर भविष्य का हिंदी साहित्य कौन सी करवट ले सकता है इसको पकड़ने की हमारी कोशिश है। बाजारीकरण और औद्योगिकरण से मनुष्य एक दूसरे के बहुत नजदीक पहुँच चुका है। एक दूसरे के विचारों से सभी प्रभावित हो रहे हैं और यह प्रभावित होना इंसान का चहँमुखी है। केंद्र में है अर्थपैसा। पैसा अपने अंगुलियों पर आदमी को नचाने की कोशिश कर रहा है। झुग्गी झोपड़ियाँ टूटी घर बने गाँव टूटकर बिखर रहे हैं नगर शहर महानगर बनते जा रहे हैं। रोज नवीन विकास यात्राएँ और उसके साथ नव-नवीन मुश्किलें। आदमी की कठिनाइयाँ साहित्य में उतरना लाजमी। हिंदी साहित्य का आदिकालीन युग राजाओं और राजकवियों का मध्ययुग भक्ति श्रृंगार कवियों का आधुनिक युग नवजागरण और परिवर्तन का और भविष्य यह केवल हम क्यों हमारे साथ आप भी सोचे इक्कीसवीं सदी में हिंदी साहित्य कौन सी दिशाओं की ओर जा रहा है और संभावनाएँ कौन सी बन रही हैं इसका उत्तर देती यह पुस्तक। यह केवल हम क्यों हमारे साथ आप भी सोचे इक्कीसवीं सदी में हिंदी साहित्य कौन सी दिशाओं की ओर जा रहा है और संभावनाएँ कौन सी बन रही हैं इसका उत्तर देती यह पुस्तक इस किताब में व्यक्त विचार समीक्षकों के अपने हैं इनसे संपादक और प्रकाशक की नीतियों व विचारों का सहमत होना आवश्यक नहीं है। देखते-देखते इक्कीसवीं सदी के ग्यारह साल गुजर गए। परिस्थितियाँ बदल रही हैं विश्व स्तर पर 2020 या उसके बाद के भारत की स्थितियों की तरफ देखने का नजरिया बदल रहा है। उभरती हुई एक बड़ी ताकत के नाते अमरिका जैसे विकसित देश भारत की तरफ स्पर्धात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। परंतु हमारे मन में सापेक्षता है क्यों क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर समझने की हमारी आदत है। पर थोड़ा सोचे दिमाग पर जोर दें तो दावे के साथ कह सकते हैं 2020 तक ना सही थोड़ा आगे जाकर भारत विश्व की बड़ी ताकत बनेगा इसमें कोई शक नहीं।

बड़ी ताकत विश्व के साथ स्पर्धा गिने-चुने लोगों में भारत का स्थान अच्छा लगता है। चारों तरफ से भारत का परिवर्तन हो रहा है खुशी है। यह परिवर्तन उद्योग और आर्थिक दृष्टियों से हो रहा है जैसे ही सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक स्थितियों में होगा और इसका असर साहित्यिक दृष्टियों से भी पड़ेगा। भारतीय व्यक्ति जैसे-जैसे बदल रहा है जैसे-जैसे उसकी भाषा भी बदल रही है। वह समय दूर नहीं जहाँ पर भारत की सारी भाषाएँ एक दूसरे के साथ घुलमिलकर एक नया रूप धारण करेंगी। विविध कार्यों से एक आदमी कई गाँवों शहरों और देशों में पहुँच रहा है। देश एवं भाषाओं की सीमाओं को लांघ रहा है। ऐसी स्थिति में साहित्य भी बदले आश्चर्य नहीं लगेगा। वर्तमान का वर्णन और भविष्य का संकेत साहित्य है। कुछ साल पहले साहित्य में पीड़ित-शोषित वर्ग का चित्रण नाममात्र रहा परंतु आज उसकी बाढ़ आ चुकी है। दबे-कुचले लोगों ने अपनी वाणी को धारदार बनाकर साहित्य जगत को खंगाल डाला पर इसके संकेत तो 1920-30 से मिल रहे थे। मनुष्य की कल्पनाएँ साहित्य में उतरती हैं और साहित्य का आधार लेकर विज्ञान विकसित होता है। षुष्पक याने का जिक्र रामायण में आया आधुनिक युग में हवाई जहाज बने। भारत का आरंभिक साहित्य रामायण महाभारत से युद्ध से संबंधित कई ताकतों का जिक्र है जिनको काल्पनिक मानकर मजाक किया जा सकता है पर आप अणुशक्तियों से जोड़कर उसे देखें तो कल्पना काफूर हो जाती है।

इक्कीसवीं सदी में हिंदी साहित्य की स्थिति एवं संभावनाएँ विषय पर इन्हीं सूक्ष्मताओं के साथ विमर्श हो अपेक्षा है। भूतकालीन एवं वर्तमानकालीन साहित्य को देखकर भविष्य का हिंदी साहित्य कौन सी करवट ले सकता है इसको पकड़ने की हमारी कोशिश है। बाजारीकरण और औद्योगिकरण से मनुष्य एक दूसरे के बहुत नजदीक पहुँच चुका है। एक दूसरे के विचारों से सभी प्रभावित हो रहे हैं और यह प्रभावित होना इंसान का चहँमुखी है। केंद्र में है अर्थपैसा। पैसा अपने अंगुलियों पर आदमी को नचाने की कोशिश कर रहा है। झुग्गी झोपड़ियाँ टूटी घर बने गाँव टूटकर बिखर रहे हैं नगर शहर महानगर बनते जा रहे हैं। रोज नवीन विकास यात्राएँ और उसके साथ नव-नवीन मुश्किलें। आदमी की कठिनाइयाँ साहित्य में उतरना लाजमी। हिंदी साहित्य का आदिकालीन युग राजाओं और राजकवियों का मध्ययुग भक्ति श्रृंगार कवियों का आधुनिक युग नवजागरण और परिवर्तन का और भविष्य

इक्कीसवीं सदी की चुनौतियाँ और हिन्दी

भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं और विचारों को किसी दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करते हैं और दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझते हैं। इससे अलग भाषा की कोई और परिभाषा ही नहीं सकती। भाषा का संबंध मनुष्य और समाज से है। भाषा कोई व्यक्तिगत या विशेष समूहगत सम्पत्ति नहीं बल्कि वह एक सामाजिक निधि है। इसलिए सामाजिक सरोकारों से परे कोई भाषा ही नहीं सकती। किसी भी देश में राष्ट्र भाषा का सम्मान उस भाषा को ही प्राप्त होता है जो देश विशेष में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। निश्चित तौर पर भारत देश का एक बहुत बड़ा जनमानस हिन्दी भाषा से परिचित है। इसलिए यह प्रस्तावित किया गया कि भारत में

राष्ट्रभाषा का अधिकारी होने का सम्मान हिन्दी भाषा को प्रदान दिया जाए। जैसे ही किसी को कोई भी अधिकार प्रदान किया जाता है, कर्तव्य स्वयं ही निर्दिष्ट हो जाते हैं। और कर्तव्य पुनः अधिकारों का सृजन करते हैं। अतः इन दोनों का एक दूसरे से पूरक संबंध है। अधिकार कर्तव्यों के बगैर अधूरे होते हैं और कर्तव्य अधिकार के बगैर। इसे एक छोटे से उदाहरण के साथ समझना उचित होगा। जैसे ही किसी भी दम्पति को माता-पिता बनने का अधिकार प्राप्त होता है, वैसे ही उस दम्पतिके कर्तव्य भी स्वयं ही निर्दिष्ट हो जाते हैं। उस नए बच्चे के प्रति माता तथा पिता दोनों के अपने-अपने उत्तरदायित्व होते हैं जिन्हें वे किसी के कहने पर नहीं, स्वयं की शर्तों पर पूरी नैतिकता के साथ वहन करते हैं। जैसे संस्कार वे रोपते हैं, बच्चा उसकी प्रतिक्रिया वैसे ही देता है। बिल्कुल इसी तरह यही समीकरण ज्ञान के क्षेत्र पर भी लागू होता है। किसी भी भाषा के राष्ट्रभाषा के रूप में चिह्नित होते ही उसके दायित्वों में वृद्धि होजाती है। अब यह भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं रह जाती बल्कि वह समूचे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व विश्व के समक्ष करती है। कभी भी भाषा का संबंध केवल साहित्य से नहीं होता। साहित्य तो भाषा का एक पक्ष मात्रा है। साहित्य समाज के समक्ष नई-नई चुनौतियों को लेकर खड़ा होता है, समाज को मानवता के दृष्टिकोण से चिंतन मनन करने को बाध्य करता है। जबकि भाषा का कार्य क्षेत्र बहुत विशाल होता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा को सदैव चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीवन को संचालित करने के लिए अनुभव और ज्ञान के संतुलन की आवश्यकता होती है। और अनुभव तथा ज्ञान नामक ये दोनों ही पक्ष अपने-अपने किास के लिए भाषा की अतुलनीय समृद्धि की माँग करते हैं।

हिन्दी की लोकप्रियता आज कितनी बढ़ गई है इसका आकलन इस तथ्य से ही किया जा सकता है कि दक्षिण भारत जो कभी इसका विरोधी था वहाँ आज लगभग प्रत्येक विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग आरंभ हो चुके हैं। इतना ही नहीं तेलगु, तमिल, कन्नड़ व मलयाली साहित्य का बड़ी तेजी से हिन्दी में अनुवाद हो रहा है। दक्षिण भाषी हिन्दी अध्यापकबहुत बड़ी संख्या में इन विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं अभी हाल ही में अमेरिका जैसे देश ने भी एशियाई देशों की राष्ट्रभाषा सीखने हेतु अपने अकादमिक जगत को निर्देशित किया है, जिसमें हिन्दी को प्रमुख स्थान दिया है। जहाँ तक साहित्यिक पक्ष का प्रश्न है, निःसंदेह हिन्दी भाषा की रचनात्मक क्षमता अपनी पूरी उर्जा के साथ यहाँ प्रकट होती है। अधिसंख्य लोग यह संदेह प्रकट करते हैं कि अब पाठक वर्ग बहुत कम रह गया है तो प्रश्न यह भी है कि हिन्दी की कितनी पत्रिकाएँ लगातार प्रकाशित हो रही हैं। एक बड़ी संख्या में घरेलू मनोरंजनपरक पत्रिकाएँ हमारे समक्ष हैं और कितनी साहित्यिक पत्रिकाएँ। फिर भी लगातार ही कुछ नई पत्रिकाएँ जन्म लेती जा रही हैं। अभी वर्तमान वर्ष से ही आरंभ होने वाली पत्रिकाएँ हैं शब्द योग, लोकायत, शिखर, सृजन पथ, पाठ आदि। छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर जैसे छोटे शहर से भी पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है।

हिन्दी की पत्रिकाएँ न केवल हिन्दी भाषी से बल्कि कुछ विदेशी प्रयास भी इस दिशा में लगातार हो रहे हैं। दुर्बई में रहने वाले कृष्ण कुमार के प्रयास से अमेरिका और भारत दोनों के संयुक्त तत्वाधान में 'अन्यथा' जैसी महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन चंडीगढ़ से हो रहा है। इसके अतिरिक्त 'स्पैन्' नामक हिन्दी भाषी पत्रिका का प्रकाशन अमेरिका कर रहा है, जो साहित्यिक के अतिरिक्त सामाजिक पक्षों पर भी चिंतन प्रस्तुत कर रही है। विज्ञान के क्षेत्र में भी 'विज्ञान प्रसार' जैसी पत्रिका का यह प्रयास सार्थक है कि यह पत्रिका एक साथ हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में प्रकाशित होती है। चाहे यह प्रयास बहुत छोटे स्तर का ही क्यों न हो, प्रयास सराहनीय है।

इसके अतिरिक्त हिन्दी की वेब पत्रिकाएँ भी आरंभ हो चुकी हैं। मनीषा कुलश्रेष्ठ की वेब पत्रिका हिन्दी जगत् में अपना स्थान बना चुकी है। ज्ञात हुआ है कि इस दिशा में 'बीबीसी रेडियो प्रसारण' अब एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने हेतु प्रयासरत है। हिन्दी जगत् के भावी परिदृश्य को सकारात्मक भाव-बोध से भरता है। कहने मतलब यह कि जब इतने सारे स्तरों पर साहित्यिक जगत् हिन्दी की स्थापना हेतु प्रयास कर रहा है तो फिर क्या कारण हैं कि हिन्दी को उसका निर्धारित स्थान प्राप्त करने में इतना अधिक समय लग रहा है। इसका उत्तर देने के पहले मैगसेसे पुरस्कार से पुरस्कृत जल संरक्षण आंदोलन के प्रमुख राजेन्द्र सिंह के एक अनुभव पर बात करना प्रासंगिक होगा। राजस्थान की सूखी बंजर ज़मीन पर जब राजेन्द्र जी के प्रयासों से हरियाली छाने लगी तो उनकी तकनीकों की उपादेयता सभी को नजर अरने लगी। जल संरक्षण के सूत्राधार श्री राजेन्द्र सिंह ने जल संरक्षण को विकसित करने के लिए किसी किताब का अध्ययन नहीं किया था। हिन्दी इस तरह यदि मौलिक ज्ञान से जुड़ती है, जो सहज है तो वह विकास के उदात्त स्वरूप को प्राप्त कर सकती है। यदि परम्परा में बसे ज्ञान का पक्ष अद्यत्त उद्घाटित नहीं हुआ है तो लोक साहित्य को परखने का नजरिया परिवर्तित कर अपनी भाषा को उदात्त और सर्वव्यापी बनाया जा सकता है। लोक संस्कृति, लोक गीत, कथा, गाथा, पहेली को यदि बतौर मनोरंजन और संस्कृति अध्ययन न करते हुए ज्ञान के रूप में अध्ययन करें तो जाने कितने रोगों की दवाएँ

सामाजिक मूल्य उद्घाटित हो जायेंगे। और भारतीय समाज में पहले चिकित्सक को कविराज कहा ही जाता था। जो चीजें संग्रहणीय हैं उठा ली जायें बाकी छोड़ दी जायें। पर हम घाल-मेल अधिक करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी भारत के दक्षिणी भाग से संवाददाता के रूप में सूचना प्रदान करने वाले दक्षिण भारतीय हिन्दी बोलते ही दिखाई देते हैं। हिन्दी भाषा ने व्यावसायिकता के आधार पर जो सम्मानित दशा प्राप्त की है उसे अभी और आगे जाने की आवश्यकता है।

ज्ञान को भाषा से जोड़ना जहाँ भाषाहीनता से बचने का महत्वपूर्ण हल है वहीं ज्ञान से जुड़ते ही हमारा परिचय नयी शब्दावली से होता है। अंग्रेजी भाषा आधुनिक ज्ञान की प्रबल संवाहक है इसलिए ज्ञानात्मक क्षेत्रों में उसका विस्तार है।

बावजूद इसके अंग्रेजी भाषा लगभग २५० नये शब्द प्रतिवर्ष अपने शब्दकोष में जोड़ती है। समय के विकास के साथ साथ भाषा के अपने प्रतिमान और पारिभाषिक शब्दावलियाँ पुरानी और बोथरी होती चली जाती है। नये शब्दों का जुड़ाव यानी नये ज्ञान से परिचय यानी संवेदना में विस्तार। प्रत्येक समय की अपनी माँग होती है। इस माँग के अनुसार भाषा का चोलाहोता है। आज का समय पहपजंसकपअपकमका है। सूचना तकनीकी के मकड़जाल में अपने अस्तित्वकी रक्षा अपने ज्ञान के माध्यम से हो सकती है। सूचना तकनीकी को अपनी शब्दावलियाँ लेने को बाध्य करने वाली भाषा भाषाहीनता की स्थिति में नहीं हो सकती।

राजभाषा हिन्दी की संवैधानिक स्थिति

हमारे देश का संविधान 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन की अवधि में निर्मित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ-साथ हिन्दी को देश की राष्ट्रभाषा बनाये जाने की सर्वाधिक माँग की जाती रही थी। संविधान निर्माताओं ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की माँग को दृष्टिगत रखते हुए संविधान सभा ने 14⁹1949 को हिन्दी को संघ की राजभाषा स्वीकार करते हुए राजभाषा हिन्दी के संबंध में प्रावधान किए। संविधान के भाग 5 एवं 6 के क्रमशः अनुच्छेद 120 तथा 210 में तथा भाग 17 के अनुच्छेद 343ए 344ए 345ए 346ए 347ए 348ए 349ए 350 तथा 351 में राजभाषा हिन्दी के संबंध में निम्न प्रावधान किये गए हैं। इन प्रावधानों के साथ ही संप्रति भारत की 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची 8 में मान्यता दी गई है। ये भाषाएँ इस प्रकार हैं।

हिन्दीए पंजाबीए उर्दूए कश्मीरीए संस्कृतए असमियाए ओड़ियाए बांगलाए गुजरातीए मराठीए सिंधीए तमिलए तेलुगुए मलयालमए कन्नड़ए मणिपुरीए कोंकणीए नेपालीए संथालीए मैथिलीए बोड़ो ता डोगरी।

सन 1967 में 21^{वें} संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा 8^{वीं} अनुसूची में जोड़ी गई थी। सन 1992 में 71^{वें} संविधान संशोधन द्वारा कोंकणीए नेपाली तथा मणिपुरी भाषाएँ 8^{वीं} अनुसूची में जोड़ी गई थीं। सन 2003 में 92^{वें} संविधान संशोधन द्वारा संथालीए मैथिलीए बोड़ो तथा डोगरी भाषाएँ 8^{वीं} अनुसूची में जोड़ी गई थीं।

संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

संविधान के अनुच्छेद 120 के अंतर्गत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 120 के खंड 1^अ के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायेगा परंतु यथा स्थिति लोक सभा का अध्यक्ष या राज्य सभा का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति सदन में किसी सदस्य को जो हिन्दी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है तो उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।

अनुच्छेद 120 के खंड 2^अ के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संविधान के प्रारंभ के समय से पन्द्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद इस प्रकार प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का लोप कर दिया गया हो।

विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा

संविधान के अनुच्छेद 210 के अंतर्गत विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 210 के खंड 1 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जायेगा किंतु यथा स्थिति विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति सदन में किसी भी सदस्य को जो अपने राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी भी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है तो उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। अनुच्छेद 210 के खंड 2 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संविधान के लागू होने के समय से पन्द्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।

संघ की राजभाषा

संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा संबंधी प्रावधान किये गए हैं।

संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 343 के खंड 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तथापि संविधान के इसी अनुच्छेद 343 के खंड 2 के अनुसार किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के लागू होने के समय से पन्द्रह वर्ष की अवधि अर्थात् 26 जनवरी 1965 तक संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए वह संविधान के लागू होने के समय से ठीक वह संविधान के लागू होने के समय से ठीक पहले प्रयोग की जाती थी। अर्थात् 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी उन सभी प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए वह संविधान के लागू होने के समय से पूर्व प्रयोग की जाती थी। अनुच्छेद 343 के खंड 2 के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि में भी अर्थात् 26 जनवरी 1965 से पूर्व भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी के साथ साथ देवनागरी रूप के प्रयोग की अनुमति दे सकते हो।

निष्कर्ष

हिंदी भाषा के उज्ज्वल स्वरूप का भान कराने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी गुणवत्ता क्षमता शिल्पकौशल और सौंदर्य का सही सही आकलन किया जाए। यदि ऐसा किया जा सके तो सहज ही सब की समझ में यह आ जाएगा कि .

- 1 संसार की उन्नत भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक व्यवस्थित भाषा है
- 2 वह सबसे अधिक सरल भाषा है
- 3 वह सबसे अधिक लचीली भाषा है
- 4 वह एक मात्र ऐसी भाषा है जिसके अधिकतर नियम अपवादविहीन हैं तथा
- 5 वह सच्चे अर्थों में विश्व भाषा बनने की पूर्ण अधिकारी है
- 6 हिन्दी लिखने के लिये प्रयुक्त देवनागरी लिपि अत्यन्त वैज्ञानिक है।
- 7 हिन्दी को संस्कृत शब्दसंपदा एवं नवीन शब्दरचनासामर्थ्य विरासत में मिली है। वह देशी भाषाओं एवं अपनी बोलियों आदि से शब्द लेने में संकोच नहीं करती। अंग्रेजी के मूल शब्द लगभग १०००० हैं जबकि हिन्दी के मूल शब्दों की संख्या ढाई लाख से भी अधिक है।
- 8 हिन्दी बोलने एवं समझने वाली जनता पचास करोड़ से भी अधिक है।
- 9 हिन्दी का साहित्य सभी दृष्टियों से समृद्ध है।
- 10 हिन्दी आम जनता से जुड़ी भाषा है तथा आम जनता हिन्दी से जुड़ी हुई है।
- 11 हिन्दी कभी राजाश्रय की मुहताज नहीं रही।
- 12 भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वाहिका और वर्तमान में देशप्रेम का अमूर्त वाहन
- 13 भारत की सम्पर्क भाषा
- 14 भारत की राजभाषा

सन्दर्भ

- 1^प आचार्य रामचन्द्र शुकल ,2013^{द्व} हिंदी साहित्य का इतिहास^प इलाहाबाद^{रू} लोकभारती प्रकाशन^प पृ° 54^प
- 2^प भ्पदकनेजंदप ,2005^{द्व} कीथ ब्राउन^ए संपा^प एनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ लैंगुएज एंड लिंक्विस्टिक्स ,2 संपा^प एल्सेवियर^प पृष्ठ 0.08.044299.4^प
- 3^प धुनमदबम वमिमदजे पूजी तममितमदबम जव वापिबपंस संदहनंम वजिम न्दपवद^प औरिजनल से 2 |नहनेज 2011 के पुरालेखित^प
- 4^प छमदजतंस भ्पदकप क्पतमबजवतंजमरू प्दजतवकनबजपवद^प
- 5^प छवतकीवार्ि मइंजपंदय भंतंजतद्वउए भंतंसकय थ्वतामसए त्वइमतजय भंमसउंजीए डंतजपदए संपा^प ;2013^{द्व} भ्पदकप^प ळसवजजवसवह 2^प2^प स्मपन्नपहरू डंग च्चंदबा प्देजपजनजम वित भ्भवसनजपवदंतल |दजीतवचवसवहल^प उंपदजरू कपेचसंल.मकपजवते ;सपदा^{द्व}
- 6^प ीजजचरूधूणीमीपदकन^पबवउध्दमैध्दंजपवदंसधेपदकप.दवज.दंजपवदंस.संदहनंम.बवनतजधंतजपबसम94695^पमबम
- 7^प श्रंउमे म् |संजपेय |प.भनप जंद ,7^मचजमउइमत 2001^{द्व} छमवतहमजवूद न्दपअमतेपजल त्वनदक ज्इसम वद संदहनंमे दक स्पदहनपेजपबे ;ळन्त्छ्द 1999^{रू} संदहनंम पद वत ज्पउमरू उपसपदहनंस म्कनबंजपवद दक वपिबपंस म्दहसपीए म्इवदपबे दक जंदकतक म्दहसपीए प्उपहतंजपवद दक जीम न्द्र प्दपजपंजपअम^प छमवतहमजवूद न्दपअमतेपजल च्त्मे^प पप^प 319^{द्व} पृष्ठ 1.58901.854.0

